लू लगने से बीमार हुए भगवान जगन्नाथ

16 जुलाई को पुरी की तर्ज पर निकलेगी ऐतिहासिक रथयात्रा

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 जून। पवित्र नगरी पन्ना में देश की प्रमुख भगवान जगन्नाथ स्वामी की पुरी में निकाली जाने वाली यात्रा की तर्ज पर पन्ना में भी रथयात्रा निकाली जाती है उक्त कार्यक्रम की शुरूवात आज भगवान जगन्नाथ स्वामी के स्नान यात्रा के साथ शुरू हो गई। पवित्र तीर्थों के सुगंधित जल से महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 'अनसर' यानी लू लगने के कारण ज्वर हो गया है।

इसी धार्मिक परंपरा के तहत अब मंदिर के कपाट अगले 15 दिनों तक श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। इस अवधि में केवल मंदिर के पुजारी ही गर्भगृह में जाकर भगवान की विशेष सेवा-सुश्रूषा एवं जड़ी-बूटियों से उपचार करेंगे। इससे पहले सोमवार सुबह 9 बजे बड़ा दीवाला स्थित श्री जगदीश स्वामी मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान का महाभिषेक किया गया। पन्ना नरेश छत्रसाल द्वितीय एवं राजपरिवार के सदस्य, मंदिर समिति, पुजारियों तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भगवान को गर्भगृह से मंदिर परिसर स्थित लघु मंदिर तक पारंपरिक शोभायात्रा के रूप में लाया गया। बैंड-बाजों और आतिशबाजी के साथ भगवान का स्वागत किया गया तथा हजार छिद्र वाले पारंपरिक मिट्टी के कलश से उनका अभिषेक किया गया। स्नान के बाद धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान को लू लगने से ज्वर आ गया, जिसके बाद उन्हें सफेद वस्त्र धारण कराए गए और विशेष आरती के उपरांत पुनः गर्भगृह में विराजमान कराया गया। अब 15 दिनों तक भगवान विश्राम करेंगे तथा श्रद्धालुओं को उनके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकेंगे।

श्रद्धालुओं को किए गए पवित्र घट वितरित

कार्यक्रम के समापन पर वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए महाभिषेक में उपयोग किए गए मिट्टी के पवित्र घट श्रद्धालुओं में वितरित किए गए, जिन्हें लोग अपने घर ले जाकर पूजा स्थल में स्थापित करते हैं। मंदिर समिति के अनुसार आगामी 14 जुलाई को भगवान का ज्वर ठीक होने पर विशेष पथ्य प्रसाद अर्पित किया जाएगा। इसके अगले दिन 15 जुलाई को धूप-घर झांकी एवं धूप-कपूर आरती का आयोजन होगा, जिसमें श्रद्धालु जालीदार पर्दे से भगवान के दर्शन कर सकेंगे। अंत में 16 जुलाई को पन्ना नगर में भगवान जगदीश स्वामी की ऐतिहासिक एवं भव्य रथयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे।

एसपी ने ग्रामीणों को किया साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 जून। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफक्लिक -2026 2.0 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू अभियान के छठवें दिन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इटवांकला पहुँचीं।

इस दौरान उन्होंने ग्रामीणजनों से संवाद कर उन्हें साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों, साइबर ठगी के नए-नए तरीकों तथा उनसे बचाव के प्रभावी उपायों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से अपील की कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति के साथ अपना ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी, सीवीवी, यूपीआई पिन अथवा अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध लिंक, क्यूआर कोड अथवा एपीके फ़ाइल पर क्लिक या डाउनलोड करने से बचें तथा किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर घबराने के बजाय तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। उन्होंने ग्रामीणों को विशेष रूप से सचेत करते हुए कहा कि लालच, अधिक कमाई, पार्ट-टाइम जॉब, ऑनलाइन नौकरी या किसी अन्य आकर्षक ऑफर के झांसे में आकर किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने बैंक खाते का उपयोग करने की अनुमति न दें।

अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक या इंटरनेट बैंकिंग किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराना गंभीर कानूनी और आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति को आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, उसके कहने पर किसी भी प्रकार का ऑनलाइन लेन-देन न करें तथा नौकरी, निवेश, इनाम, लॉटरी, गिफ्ट या अन्य किसी लालच में आकर किसी भी खाते में पैसे ट्रांसफर न करें। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने साइबर सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संकल्प लिया।

आदिवासी युवक को मिला 11 .19 कैरेट का बेशकीमती हीरा

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 जून। हीरों की नगरी पन्ना में एक बार फिर एक मेहनतकश आदिवासी परिवार की किस्मत चमक गई है। जिले के अहिरगवां क्षेत्र में संचालित एक निजी हीरा खदान से आदिवासी युवक राकेश गोंड को 11.19 कैरेट वजन का जेम क्वालिटी का बेहद कीमती हीरा मिला है।

जानकारों के मुताबिक इस चमचमाते हीरे की अनुमानित कीमत करीब 40 से 50 लाख रुपये तक आंकी जा रही है। इस परिवार की किस्मत का सितारा कितनी तेजी से चमक रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ठीक दो साल पहले जुलाई 2024 में भी इन्हें कृष्णा कल्याणपुर स्थित पटी उथली हीरा खदान से 19.22 कैरेट का एक विशाल हीरा मिला था। उस वक्त शासकीय नीलामी में उस हीरे से परिवार को 93 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि प्राप्त हुई थी। अब ठीक दो वर्ष बाद इस परिवार को दोबारा इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है।

दो महीने की कड़ी मेहनत का मिला फल - हीरा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, राकेश गोंड पिता चुनवादा गोंड ने इसी साल अप्रैल महीने में निजी भूमि का पट्टा लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने भाइयों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर दिन-रात खदान में पसीना बहाना शुरू किया। करीब दो महीने की लगातार और कठिन मेहनत के बाद सोमवार को उनकी किस्मत ने ऐसी करवट बदली कि मिट्टी छानते-छानते उनके हाथ यह 11.19 कैरेट का जेम क्वालिटी हीरा लग गया।

बेशकीमती हीरा हाथ लगते ही राकेश गोंड सोमवार को अपने पूरे परिवार के साथ जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर के हीरा कार्यालय पहुंचे। वहां मौजूद अधिकारियों की देखरेख में हीरे का विधिवत वजन कराया गया और उसे सरकारी खजाने में सुरक्षित जमा कर लिया गया।

शासकीय नीलामी से चमकेगी तकदीर

हीरा अधिकारियों ने बताया कि इस जेम क्वालिटी के हीरे को आने वाली शासकीय नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो भी अंतिम राशि प्राप्त होगी, उसमें से शासन की निर्धारित रॉयल्टी काटकर बची हुई पूरी रकम हीरा धारक राकेश गोंड के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पन्ना की रत्नगर्भा धरती ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यहाँ ईमानदारी से पसीना बहाने वालों की तकदीर बदलते देर नहीं लगती।

सेफ क्लिक अभियान, अस्पतालों और जनसेवा संस्थानों में दी साइबर सुरक्षा की सीख

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 जून। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा जन-जागरूकता अभियान सेफ क्लिक-2026 2.0 के तहत छठे दिन पन्ना जिले में एक अनूठी पहल देखने को मिली।

पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में सोमवार को जिले के समस्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य एवं जनसेवा संस्थानों में स्वास्थ्य एवं जनसेवा संस्थान जागरूकता विषय पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत जिला चिकित्सालय से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों के सामुदायिक, प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचने वाले मरीजों, उनके तीमारदारों, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को साइबर अपराधियों के नए पैंतरों के प्रति सचेत किया गया। अस्पतालों में दवा के साथ-साथ अब साइबर सुरक्षा की जानकारी भी दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने आम नागरिकों को बताया कि आजकल ठग किस तरह डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लोन ऐप्स, ऑनलाइन निवेश के नाम पर भारी मुनाफे का लालच, बैंक केवाईसी अपडेट, फर्जी नौकरी और संदिग्ध एपीके फाइलों के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ा रहे हैं। पुलिस ने लोगों को चेताया कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के फोन कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें और न ही किसी के कहने पर कोई ऐप डाउनलोड करें।

भगवान परशुराम जन्मोत्सव संबंधी बैठक हुई

जागरूकता के इस विशेष सत्र में सबसे ज्यादा जोर त्वरित कार्रवाई पर दिया गया। पुलिस ने जनता को समझाया कि यदि कोई व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है, तो उसे घबराने के बजाय बिना समय गंवाए तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए या फिर आधिकारिक पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। समय रहते दी गई इस सूचना से ठगी गई रकम को बैंक खातों में ही होल्ड करने और उसे वापस पाने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

ट्रक की टक्कर से हेल्पर की मौत

लापरवाही बरतने पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 जून। अमानगंज बाईपास स्थित रक्कू ढाबा के सामने रविवार लगभग 1:45 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक ट्रक हेल्पर की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब नौगांव से माल खाली कर कैमूर कटनी जा रहा ट्रक सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के अचानक पीछे किए जाने की चपेट में आ गया।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक में सवार हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज ले जाया गया लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सुरेश सिंह निवासी ग्राम चौपरा के रूप में हुई है जो ट्रक नंबर एमपी 16 एच 1898 में हेल्पर के रूप में कार्यरत था। अमानगंज पुलिस ने फरियादी महेंद्र सिंह तकाम की शिकायत पर आरोपी ट्रक चालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अमानगंज बाईपास पर खड़े ट्रक यूपी 81 डीटी 4299 के चालक ने लापरवाही बरतते हुए बिना सावधानी बरते अचानक वाहन पीछे कर दिया था जिसके कारण पीछे से आ रहा ट्रक उससे टकरा गया।

जल्द लागू होगी ई-जीरो एफआईआर, घर बैठे दर्ज होगी शिकायत

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 जून। डिजिटल क्रांति के इस दौर में जहां एक ओर आम जनता का जीवन आसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध ग्राफ तेजी से ऊपर भागा है। ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी, यूपीआई फ्रॉड, फर्जी बैंकिंग ऐप्स और लोन स्कैम जैसे मामलों में अपराधी अक्सर एक राज्य में बैठकर दूसरे राज्य के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाते हैं।

इस अंतर-राज्यीय चुनौती से निपटने और पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक क्रांतिकारी और पूरी तरह से स्वचालित कदम उठाया है, जिसे ई-जीरो एफआईआर नाम दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद अब इस आधुनिक डिजिटल व्यवस्था को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेजी से लागू करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

क्या है ई-जीरो एफआईआर और पारंपरिक व्यवस्था से अंतर?- आमतौर पर किसी भी अपराध की एफआईआर उसी पुलिस थाने में दर्ज की जाती है, जिसके भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह घटना हुई हो। साइबर अपराधों के मामले में यह नियम पीड़ितों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता था, क्योंकि स्थानीय पुलिस अक्सर सीमा विवाद या तकनीकी कारणों का हवाला देकर शिकायत दर्ज करने में देरी करती थी। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जीरो एफआईआर की अवधारणा को पूरी तरह डिजिटल रूप दिया गया है। अब कोई भी पीड़ित घर बैठे बिना किसी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय सीमाओं का बंधन पूरी तरह समाप्त हो जाता है।

प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और कार्यप्रणाली - केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। प्रणाली की प्रमुख कार्यप्रणाली इस प्रकार है।

स्वचालित थ्रेशोल्ड - यदि किसी नागरिक के साथ पांच या उससे अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज होते ही सिस्टम इसे स्वचालित रूप से ई-जीरो एफआईआर में तब्दील कर देता है।

त्काल डिजिटल कॉपी - शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद पीड़ित के रजिस्टर्ड ईमेल और व्हाट्सऐप पर प्रमाणित डिजिटल एफआईआर की कॉपी भेज दी जाती है।

गोल्डन ऑवर्स में त्वरित कार्रवाई - साइबर अपराधों में ठगी के शुरुआती 1 से 3 घंटे सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस प्रणाली के जरिए दिल्ली स्थित केंद्रीय ई-क्राइम स्टेशन से सीधे संबंधित बैंक और क्षेत्रीय पुलिस को अलर्ट जाता है, जिससे ठगों के बैंक खातों को तुरंत फ्रीज कर पैसा ट्रांसफर होने से रोक लिया जाता है।

3 दिनों का अनिवार्य नियम - इस डिजिटल एफआईआर को कानूनी रूप से मान्य और चार्जशीट के योग्य बनाने के लिए सरकार ने सुरक्षात्मक नियम भी जोड़े हैं।

कमल मेडिकल में दिनदहाड़े चोरी, लोगों में दहशत

आरोपी की पहचान और चोरी गई रकम की बरामदगी के लिए टीमें लगा दी गई

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 जून। पन्ना शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों और आम जनता में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है। ताजा मामला गोविंद जी मंदिर चौराहे के पास स्थित कमल मेडिकल एंड जनरल एजेंसी का है, जहां एक शातिर चोर ने दिनदहाड़े दुकान से करीब 80 हजार रुपये की नकदी पर हाथ साफकर दिया।

यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी साफतौर पर चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। दुकान संचालक नीरज गुप्ता ने बताया कि वे हर रोज की तरह रविवार दोपहर को भोजन करने के लिए पास ही स्थित अपने घर गए थे। घर जाने से पहले उन्होंने दुकान का शटर नीचे गिरा दिया था। शाम करीब पांच बजे जब वे वापस लौटे तो दुकान का शटर थोड़ा उठा हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। जब उन्होंने अंदर जाकर कैश काउंटर की जांच की, तो उसमें रखे करीब 80 हजार रुपये गायब थे। घटना की जानकारी मिलते ही नीरज गुप्ता ने तुरंत आसपास के दुकानदारों को सूचित किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाली। फुटेज में शाम 4:40 बजे एक संदिग्ध व्यक्ति दुकान के अंदर घुसकर कैश काउंटर से रुपये निकालता हुआ साफ नजर आया। इसके बाद पीड़ित ने तत्काल कोतवाली थाना पहुंचकर पुलिस को मामले की लिखित सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान और चोरी गई रकम की बरामदगी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। पन्ना जैसे शांत शहर में दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर नहीं नगरीय प्रशासन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 जून। जिले में करीब एक साल पहले प्रशासन द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू में लोगों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया था। लेकिन समय बीतने के साथ यह अभियान कमजोर पड़ता नजर आ रहा है और अब इसकी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

शुरुआती दौर में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर गरीब तबके की गुमटियां और झोपड़ियां हटा दी जाती हैं पर शहर के मुख्य मार्गों और चौक-चौराहों पर आज भी रसूखदार लोगों के अवैध निर्माण और कब्जे जस के तस बने हुए हैं। कई जगहों पर मुख्य मार्गों पर मकान और दुकानें अवैध रूप से आगे बढ़ाकर बनाई गई हैं, लेकिन इन्हें हटाने की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यहां तक कि जेसीबी की कार्रवाई भी इन क्षेत्रों तक पहुंचते-पहुंचते थम सी जाती है, जिससे प्रशासनिक निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। शहर के प्रमुख मार्ग और चौक-चौराहे अवैध कब्जों के कारण लगातार संकरे होते जा रहे हैं। दो पहिया वाहनों की आमने-सामने क्रॉसिंग भी मुश्किल हो गई है। छोटी सी भी भीड़ या वाहन का दबाव बढ़ते ही लंबा जाम लग जाता है।

सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों और अभिभावकों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि इन मार्गों पर कई शैक्षणिक संस्थान स्थित हैं। बच्चे रोजाना जाम में फंसकर स्कूल पहुंचने और लौटने में देरी का सामना कर रहे हैं।

हादसों का बढ़ता ग्राफ अव्यवस्थित यातायात बना खतरा - अवैध कब्जों के कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि दर्ज की जा रही है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में जब ट्रैफिक दबाव अधिक होता है, तब हादसों की संभावना और बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं।

और सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। जिम्मेदार इसको लेकर गंभीर प्रयास करते नहीं दिख रहे हैं।

गांधी चौक से लेकर महेन्द्र भवन तक सबसे ज्यादा लगता जाम - सुबह और शाम के वक्त सबसे ज्यादा जाम की स्थिति गांधी चौक से महेन्द्र भवन के रास्ते में देखी जा सकती है। पंचम सिंह चौराहा के पास तो जाम के कारण लंबी लंबी लाईने लग जाती है जिससे लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे प्रमुख कारण सड़क किनारे लगी गाड़िया है जिसके कारण मार्ग एकदम संकिर्ण हो जाता है और फिर वाहनों को निकलने में परेशानी होती है जिसके कारण जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है।

चहेतों को छोड़ रहे जिम्मेदार

प्रशासन की कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि गरीब तबके की छोटी संरचनाओं पर तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन रसूखदारों के बड़े अवैध निर्माणों के सामने अभियान कमजोर पड़ जाता है। इसी कारण अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया एकतरफा और असंतुलित मानी जा रही है। शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान फिलहाल ठप सा नजर आ रहा है और इसका सीधा असर आम जनता की परेशानी, जाम और सड़क हादसों के रूप में सामने आ रहा है।

ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट के नाम पांचवें वित्त से करोड़ों का हुआ खेल, भौतिक सत्यापन हो तो खुलेगी पोल

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 जून। जनपद पंचायतों में सोलर लाइट के नाम पर होने वाला खेल थम नहीं पाया। इसके लिए विभागीय स्तर पर न तो कोई गाइडलाइन जारी की गई और न ही नोडल विभागों का सहयोग लिया गया। जनपद के अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों से साठगांठ कर करोड़ों की राशि सोलर लाइट के नाम पर स्वाहा कर दी।

भले ही ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट का प्रकाश कहीं दिखाई न दे। जबकि करोड़ों की राशि वर्ष 2025-26 में खर्च हो चुकी है। कई पंचायतों के सरपंचों को भी जानकारी नहीं है कि सोलर लाइट पंचायतों में लगी है या नहीं। इस मामले में जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतें एवं लोक निर्माण विभाग ईएंडएम की साठगांठ बताई जा रही है। क्योंकि तकनीकी स्वीकृति इसी विभाग से जारी होती है। जबकि सोलर लाइट के लिए नोडल विभाग नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग है, उसके बाद बिजली विभाग है। किन्तु यहां तकनीकी स्वीकृति के लिए लोक निर्माण विभाग ईएंडएम को सेट कर लिया गया है। इसलिये जिन पंचायतों की साठगांठ संबंधित विभाग से हो गई उन्हें लाखों का भुगतान कर दिया गया। किन्तु सवाल यही है कि क्या स्वीकृति के अनुसार सोलरलाइट लगी या नहीं। अथवा कागजों में ही काम हो गया।

कई पंचायतों को पांच लाख तक का किया गया भुगतान - प्राप्त जानकारी के अनुसार सोलर लाइट के नाम पर कई पंचायतों को पांच लाख या उससे अधिक का भुगतान किया गया। किन्तु बताया जाता है कि जिन पंचायतों को यह राशि जारी हुई वहां सोलर लाइट कहीं नजर नहीं आती। सूत्रों का कहना यह भी है कि कुछ पंचायतों के पंचायत भवन में शोपीस के रूप में सोलर लाइट लगाई गई है। जबकि स्ट्रीट लाइट के रूप में इसका उपयोग किया जाना था। ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट लगाने के लिये पांचवें वित्त से कोई दिशा निर्देश नहीं थे। जांच का विषय यह है कि ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट के नाम पर बड़ा घोटाला हो चुका है। इसलिये किये गये भुगतान के अनुसार कार्यों का भौतिक सत्यापन होना जरूरी है।

पांचवें वित्त में और भी कार्य किये जा सकते थे - बड़ा सवाल यह है कि पांचवें राज्य वित्त के मद से और भी कार्य किये जा सकते हैं। केवल सोलर लाइट को ही सबसे अधिक महत्व क्यों दिया गया? 90 प्रतिशत राशि केवल सोलर लाइट में ही क्यों खर्च हुई? जबकि इस पांचवें राज्य वित्त की गाइड लाइन के अनुसार स्वच्छता से संबंधित कार्य, पानी से संबंधित हैंडपंप, टंकी, सड़क नाली, कब्रिस्तान, श्मशानघाट, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन आदि जो ग्रामसभा अनुमोदित करती वह हो सकते थे। किन्तु पूरा बजट सोलरलाइट में फूंक देना समझ से परे है। यह भी सही है कि पांचवें वित्त का बजट आबादी, क्षेत्र एवं पिछड़े क्षेत्रों के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। जहां 70 प्रतिशत आबादी, 20 प्रतिशत क्षेत्र एवं 10 प्रतिशत पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है। लिहाजा जनपदों को भी उसी आधार पर प्राथमिकता देनी चाहिये। किन्तु वहां राशि जारी करने में उल्टा काम होता है। जिन पंचायतों में कमीशन की सेटिंग पहले हो जाती है, वहां के सरपंच सचिव कमीशन देकर कागजों में काम करने के लिये तैयार होते है उन्हें यह राशि पहले जारी कर दी जाती है।

नोडल विभाग से परहेज क्यों?

सोलर लाइट के संबंध में नोडल विभाग नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग है। लिहाजा किसी भी मामले में स्वीकृति प्राप्त करने के लिये उसी विभाग से पत्राचार किया जाना चाहिये। क्योंकि सोलर लाइट का कार्य भी वही वेन्डर कर सकता है जो नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग में पंजीकृत हो। यहां देखा जा रहा है कि जो वेन्डर नोडल विभाग में पंजीकृत ही नहीं है और जिसे सोलर लाइट के संबंध में कोई जानकारी तक नहीं है वह पंचायतों में सोलर लाइट के नाम पर कार्यादेश प्राप्त करता है। फर्जी बिल प्रस्तुत किये जाते है। फर्जी बिलों के माध्यम से मूल्यांकन करने वाले भ्रष्ट इंजीनियर सब कुछ ओके कर देते है। इस तरह से जनपदों से भुगतान कर दिया जाता है।

भण्डार क्रय नियमों का पालन हुआ या नहीं?

जहां जिन पंचायतों में सोलर लाइट लगाई गई वहां भण्डार क्रय नियमों का पालन हुआ या नहीं? खरीदी के लिये पात्र एजेंसियों का चुनाव किया गया नहीं? प्रतिस्पर्धा के अनुसार रेट प्राप्त किये गये अथवा मनमानी तरीके से एजेंसी का चयन कर लिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोक निर्माण विभाग ईएंडएम में जो ठेकेदार काम कर रहे थे उन्हें ही काम दे दिये गये। अथवा पंचायतों ने अपने सगे संबंधी वेन्डरों के माध्यम से यह कार्य कागजों में पूरा करवा लिया? सवाल यह भी है कि जनपदों में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने ऐसे कार्यों का निरीक्षण किया या नहीं। जबकि उन्हें भी फील्ड का दौरा कर ऐसे कार्यों का निरीक्षण करना चाहिये। यदि नहीं किया तो यह सत्य है कि भ्रष्टाचार की गंगा जनपदों से बहाई गई।